कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी, ज़िला मन्दसौर (म.प्र)

क्र./स्थापना/नियुक्ति/प्रा.शि.नियोजन (विशेष शिक्षा)/2026/**5646** मन्दसौर, दिनांक **31-08-26**

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा-शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर जारी संशोधित भर्ती नियम के नियम 5(4)(क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अन्तर्गत **प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा)** के पद पर उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है :-

S. No	App. No.	Cons. Rank	Name & father's name	Address	Original Category	Selected Category	Allotted School	Block
1	3412250647425	1465	Amit Singh F/H Name- Narayan Singh	626 Shitla Mata Mandir Ke Pas Bapu Nagar Balita Road,Kunhadi Kota	UR	UR/X/OP	GHSS GIRLS SHAMGARH (6 to 12) **(23190216933)**	Garoth
2	3412250701854	1811	Devendra Kumar F/H Name- Sumer Singh	Bichalabas Thob Osian Osian Jodhpur	UR	UR/X/OP	GHSS BOYS SHAMGARH (9 to 12) **(23190216932)**	Garoth
3	3406250664937	5185	Savina Bano F/H Name- Ali Mohammd Khan	684 Nai Basti Tempu Stand Lohakhan Ajmer Ajmer	UR	UR/X/F	GHS NUTAN MANDSAUR (1 to 10) **(23190623756)**	Mandsaur
4	3402250747295	5564	Ankit Kumar F/H Name- Rajpal	1 Mator Devi Ki Dhani Mundawar Alwar	UR	UR/X/OP	GHSS BOYS No. 02 MANDSAUR (9 to 12) **(23190623747)**	Mandsaur
5	3406250748016	7749	Rakesh Sharma F/H Name- Kundan Mal Sharma	Shambhugarh Shambhugarh Asind Bhilwara	UR	UR/X/OP	GHSS BOYS PIPLIYA STATION (1 to 12) **(23190402626)**	Malhargarh
6	3412250684081	12686	Dharmraj Saini F/H Name- Ranglal Saini	1117 Vill- Sainipura Post- Malarna Malarna Dungar Malarna Dungar Mlz Sawai Madhopur	UR	UR/X/OP	GHSS BOYS BHENSODA (9 to 12) **(23190106026)**	Bhanpura
7	3412250716067	13970	Pradakshina Upadhyay F/H Name- Pawan Upadhyay	1 Ward No 10 Gram Bhartyakhedi Tehsil Bhanpura Mnd	EWS	EWS/X/F	GHSS GIRLS BHANPURA (6 to 12) **(23190105944)**	Bhanpura
8	3406250635791	14184	Vishal Nagar F/H Name- Krishna Murari Nagar	1 Chandresal Ward No 20 Ladpura Kota	UR	UR/X/OP	GHSS GIRLS GAROTH (6 to 12) **(23190213227)**	Garoth
9	3403250695029	15034	Vikash F/H Name- Mahee Ram	Bishnoiyo Ka Mohalla Khindasar Koalayat Bikaner	UR	UR/X/OP	GHSS GIRLS MALHARGARH (9 to 12) **(23190402331)**	Malhargarh
10	3406250642727	19898	Kailash Chandra Nuwad F/H Name- Devkaran Ram Nuwad	324 Karkeri Karkeri Roopangarh Ajmer	UR	UR/X/OP	GHSS BALAGUDA (1 to 12) **(23190405410)**	Malhargarh
11	3406250653765	23156	Nitin Kumar Sharma F/H Name- Ramesh Chand Sharma	287, Bohara Sadan,Govin Nagar Near Pani Ki Tanki Hanuman Circle Alwar Alwar	UR	UR/X/OP	GHSS BABULDA (9 to 12) **(23190102117)**	Bhanpura
12	3406250633463	23157	Rajkumar Jangid F/H Name- Banwari Lal Jangid	152 V/P. Kareda Bujurg Old Nh 11B Newai Tonk	UR	UR/X/OP	GHSS DALAUDA STATION (9 to 12) **(23190612824)**	Mandsaur

PANKAJ KUMAR JAT Digitally signed by PANKAJ KUMAR JAT Date: 2026.08.31 17:32:36 +05'30'

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छठवां वेतनमान 5200-20200+2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत मेट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम् वेतन रूपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र.-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12-12-2019 के बिन्दु क्रमांक (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा-शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 (राजपत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम् का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेण्ड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (03 वर्ष) सफ़लतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम् वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रुप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा-शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण से सम्बन्धित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

4/ सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02-04-2005 के अनुसार दिनांक 01-01-2005 के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13-04-05 के प्रावधानानुसार परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना लागू होगी।

5/ सम्बन्धित अभ्यर्थी को दिनांक 07-09-2026 तक कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी में उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी तीन स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लाएंगे। कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी में अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज़ों से किया जाएगा। दस्तावेज़ों की सूची निम्नानुसार है :-

I. नियुक्ति आदेश
II. पासपोर्ट साइज़ फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर, ई-मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण-पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम्) (अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र)
IV. आर्थिक रुप से कमज़ोर प्रवर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए EWS प्रमाण-पत्र
V. मूल निवासी प्रमाण-पत्र
VI. स्थायी नि:शक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र (न्यूनतम् 40% स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण-पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में है)
VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण-पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर हुई है)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत त्याग-पत्र की पावती प्रति
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता (Special D.El.Ed) सम्बन्धी दस्तावेज़
X. RCI द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं CRR नम्बर
XI. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाण-पत्र
XII. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाण-पत्र
XIII. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
XIV. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमिलेयर में नहीं आने सम्बन्धी घोषणा (परिशिष्ट-1)
XV. संलग्न शपथ-पत्र Notarized (परिशिष्ट-2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेज़ों के इस कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरान्त पात्र पाये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को ज़िला पारस्परिक परिवर्तन के लिए दिए गए विकल्प के कारण पूर्व में जारी ज़िला आवण्टन आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा।

PANKAJ KUMAR JAT Digitally signed by PANKAJ KUMAR JAT Date: 2026.08.31 17:33:29 +05'30'

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किए गए मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा।

9/ प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) की पदस्थापना संकुल शाला में रहेगी, परन्तु संकुल अन्तर्गत जिस शाला में दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या अधिक (अस्थिबाधित को छोड़कर) होगी, उस शाला में अध्यापन कार्य कराना होगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य विद्यालय जहाँ दिव्यांग विद्यार्थी होंगे, उन विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण/ सहयोग करना होगा।

10/ R.C.I. द्वारा जारी C.R.R. नम्बर सम्पूर्ण सेवा के दौरान क्रियाशील रहना अनिवार्य है। R.C.I. प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर इसे छह माह के भीतर नवीनीकरण कराना होगा। निर्धारित समयावधि में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं करवाने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।

विशेष टीप➔ यदि चरित्र / जाति / निःशक्तता / शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता / शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज़ सत्यापन की रिपोर्ट में ग़लत या असत्य पाए जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फ़र्ज़ी अथवा असत्य पाये जाते हैं, तो सम्बन्धित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

PANKAJ KUMAR JAT
Digitally signed by PANKAJ KUMAR JAT
Date: 2026.08.31 17:34:13 +05'30'

ज़िला शिक्षा अधिकारी
ज़िला मन्दसौर (म.प्र)

पृ.क्र./स्थापना/नियुक्ति/प्रा.शि.नियोजन (विशेष शिक्षा)/2026/**5647** मन्दसौर, दिनांक **31-08-26**

प्रतिलिपि :-

1- विशेष सहायक महोदय, माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2- अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3- सचिव महोदय, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5- आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
6- संचालक महोदय, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
7- सम्भागायुक्त महोदय, सम्भाग उज्जैन।
8- कलेक्टर महोदय, ज़िला मन्दसौर।
9- सम्भागीय संयुक्त संचालक महोदय, लोक शिक्षण, सम्भाग उज्जैन, म.प्र.।
10- ज़िला कोषालय अधिकारी, मन्दसौर।
11- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (समस्त), ज़िला मन्दसौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12- चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित ज़िले के ज़िला शिक्षा अधिकारी (म.प्र) को दिनांक 07 सितम्बर 2026 तक अपनी उपस्थिति देवें।

PANKAJ KUMAR JAT
Digitally signed by PANKAJ KUMAR JAT
Date: 2026.08.31 17:34:49 +05'30'

ज़िला शिक्षा अधिकारी
ज़िला मन्दसौर (म.प्र)